बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

पत्रांक एस० ओ० ..... पटना, दिनांक .....

राज्य सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग) के प्रकाशित आदेश ओ०एम०/एफ० दिनांक 25 दिसम्बर 2002 से नियंत्रित विनियमित खाद्य पदार्थों से अनुज्ञप्ति संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन, पटना आदेश 2002 में क्रय, संग्रहण, वितरण, प्रदाय, वितरण या विक्रय के लिए मंत्रालय से जारी प्रयुक्त मध्यों और पदार्थों को वस्तु अर्थात खाद्य तेल एवं खाद्य तेलहन के लिए 30 सितम्बर 2010 तक की अवधि के लिए प्रावधान में रखा गया है। उक्त आदेश के बाद पारित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम–10) की धारा –2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री ..., बिहार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या ओ०एम०/एफ० 2 दिनांक 04 अप्रैल 1984 के द्वारा प्रकाशित बिहार आवश्यक वस्तु (अनुज्ञापन तथा संचालन) आदेश 1984 के खण्ड–2 एवं अध्याय –3 के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं के लिए संचालन सीमा के लिए निम्नलिखित अधिसूचना संख्या ओ०एम०/एफ० का, दिनांक 17 अक्टूबर 1985 से निम्न संशोधन करते हैं, तथा –

1. राज्य में खाद्य तेल एवं खाद्य तेलहन का थोक में व्यापारी किसी भी समय स्टॉक में खाद्य तेल एवं खाद्य तेलहन का संयुक्त भी स्टॉक प्राप्त करने की तिथि से 30 (तीस) दिन से अधिक अवधि के लिए नहीं रखेगा और किसी भी समय स्टॉक में कोई अतिरिक्त मात्रा से अधिक रखी उस का खाद्य तेल एवं खाद्य तेलहन नहीं रखेगा

(क) नगर निगम क्षेत्र – खाद्य तेल दस (पाँच सौ) क्विंटल अधिकतम एवं खाद्य तेलहन दस (एक हजार) क्विंटल ।

(ख) अन्य सभी क्षेत्र – खाद्य तेल दस (दो सौ पचास) क्विंटल अधिकतम एवं खाद्य तेलहन दस (पाँच सौ) क्विंटल ।

परन्तु इस आदेश की कोई बात निम्नलिखित द्वारा कब्जा पर रखे गये खाद्य तेल एवं खाद्य तेलहन के स्टॉक पर लागू नहीं होगी –

(i) सरकारी गोदी स्टॉक, या

(ii) राज्य सरकार द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा नियंत्रित अनुज्ञप्ति प्राप्त उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए रखा गया स्टॉक; या

(iii) भारतीय खाद्य निगम/राज्य खाद्य निगम द्वारा रखा गया स्टॉक ।

2. उपर्युक्त निर्धारित संशोधन सीमा का अतिक्रमण किसी भी परिस्थिति में राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा ।

3. सम्बन्धी नियम पूर्व अधिसूचना/आदेश उस सीमा तक तक संशोधित समझा जाय ।

4. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी ।

5. यह अधिसूचना निर्गत केन्द्रीय आदेश ओ०एम०/एफ० दिनांक 25.09.2002 की प्रस्तावना में निर्धारित तिथि सीमा के साथ–साथ लागू होगी ।

ज्ञा०–ए०–01/2010/खाद्य–III,
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(रमा विजयी जोशी)
सरकार के संयुक्त सचिव

Printed by ...
P.O. ... 05-2010